सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

A2/9

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– वीरेन्द्र कुमार वर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :–02/03/2013 तारीख दायरा 01.03.2013

बूटासिंह पुत्र बख्तावर सिंह जाति जटसिख निवासी खियाला मजकपूर तहसील व जिला मानसा जरिये मुख्तयारे आम रणजीतसिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह जाति जटसिख साकिन 4 वी धनूर

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. नवीनी बाई पत्नी झमन दास सिन्धी निवासी अहमदाबाद
3. गमदूर सिंह पुत्र गुरबचनसिंह जाति जटसिख निवासी 4 वी तहसील श्री करणपुर
4. हजूरसिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी 4 वी तहसील श्री करणपुर

अपीलें अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार श्री करणपुर दिनांक 02.02.13 जिसके द्वारा अपीलांट के नाना की आवंटित भूमि को रकबा राज कर अलाट किया गया व तत्पश्चात आराजी राज से नवीनी बाई के नाम इन्तकाल एक तरफा किया गया जबकि रकबा राज के विरूद्ध अपील विचाराधीन है। इन्तकालात को मन्सूख करने के संबंध में।

उपस्थित :–

1. श्री सुभाष मिढ्ढा एडवोकेट जरिये अपीलांट
2. श्री जीतपाल सिंह एडवोकेट जरिये रैस्पोडेंटस संख्या 3 व 4

निर्णय दिनांक 25/1/18

1. अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई कि अपीलांट के नाना महेन्द्र सिंह उर्फ मेहर सिंह पुत्र अमर सिंह को हिन्द–पाक विभाजन पर भारत सरकार के बतौर के सैटलमेंट विभाग से बतौर क्लेमेंट के चक 9 एस ए तहसील करनपुर के मु0नं0 20 के 5.248 हैक्टेयर रकबा अलाट किया गया था अपीलांट का नाना अपने जीवन काल में उक्त भूमि पर काबिज था व उसके बाद उसकी विधवा गुरबचन कौर व पुत्री जीत कौर काबिज चली आई इनके देहान्त के बाद अपीलांट जीत कौर का पुत्र काबिज चला आ रहा है। क्लेम का विवाद होने के कारण महेन्द्र सिंह के जीवन काल में व उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान ने विभिन्न अदालतों में कार्यवाही की तथा सैटलमेंट कमिश्नर गंगानगर में डी पी प्रथम 57 सन 76 की गई उसमें यह हैल्ड किया गया कि तहसीलदार जांच करे इस प्रकार कार्यवाही चलते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में जेरकार हुई। इसी बीच में डी पी एक्ट वर्ष 2005 में रीपील हो गया मगर जो मामले चल रहे थे उसके समाप्त होने पर भी राज्य सरकार ने परिपत्र कमांक 15(1) दिनाक 6.10.90 को जारी किया गया तो यही लिखा गया कि जो मामले चल रहे हैं उनमें डी पी एक्ट के तहत ही कार्यवाही होगी। क्योंकि मामला विचाराधीन चल रहा है इसी बीच रकबा को गलत तौर से रकबा राज कर इन्तकाल संख्या 248 दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील कर रखी है तथा रकबा को गलत तौर से रैस्पो0 संख्या 2 को अलाट कर उसके नाम से इन्तकाल संख्या 249 एक ही दिनांक 2.2.13 को किया गया है इन्तकाल संख्या 248 के खाना नम्बर 07 में अलाटी महेन्द्रसिंह का नाम दर्ज है तथा रकबा राज दर्ज करने से

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

पहले न तो उसके नाम से कोई नोटिस जारी किया गया नही बुलाया या सुना गया न ही मृतक के वारिसान के नाम से नोटिस जारी किया गया व नही समाचार पत्र आदि में प्रकाशन किया गया। इन्तकाल नियमों लेण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इन्तकाल संख्या 248 गलत है व इन्तकाल संख्या 249 एक ही रोज किया गया है जो निरस्तनीय है। इन्तकाल संख्या 249 करनेसे पूर्व कोई कानूनी प्रकिया को नहीं अपनाया गया है। यदि क्लेम खारिज भी माना जावे तो भी अधिक से अधिक दुगनी राशि अथवा पैनेल्टी ही जमा करवाई जा सकती है रकबा अलाटी से वापिस नहीं लिया जा सकता। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

2. अपीलें पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पो0 को सुनवाई हेतु तलब किया गया। दिनांक 12.09.17 को रैस्पो0 नवीनीबाई (मृतका) से भूमि कय करने के केतागण को पक्षकार बनाया गया। संबंधित रिकार्ड तलब किया गया। चूँकि दोनो अपीलों के तथ्य/पक्षकार/विवाद की विषयवस्तु एक समान हैं अतः दोनो का निर्णय एक साथ किया जा रहा है निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली में रखी जाये।

3. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा अपील मीमो में दर्ज तथ्यों के आधार पर बहस समायत की गई। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलांट के नाना महेन्द्र सिंह उर्फ मेहर सिंह पुत्र अमर सिंह को हिन्द–पाक विभाजन पर भारत सरकार के बतौर के सैटलमेंट विभाग से बतौर क्लेमेंट के चक 9 एस ए तहसील करनपुर के मु0नं0 20 के 5.248 हैक्टेयर रकबा अलाट किया गया था अपीलांट का नाना अपने जीवन काल में उक्त भूमि पर काबिज था व उसके बाद उसकी विधवा गुरबचन कौर व पुत्री जीत कौर काबिज चली आई इनके देहान्त के बाद अपीलांट जीत कौर का पुत्र काबिज चला आ रहा है। क्लेम का विवाद होने के कारण महेन्द्र सिंह के जीवन काल में व उसके देहान्त के बाद उसके वारिसान ने विभिन्न अदालतों में कार्यवाही की तथा सैटलमेंट कमिश्नर गंगानगर में डी पी प्रथम 57 सन 76 की गई उसमें यह हैल्ड किया गया कि तहसीलदार जांच करे इस प्रकार कार्यवाही चलते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय में जेरकार हुई। इसी बीच में डी पी एक्ट वर्ष 2005 में रीपील हो गया मगर जो मामले चल रहे थे उसके समाप्त होने पर भी राज्यसरकार ने परिपत्र कमांक 15(1) दिनाक 6.10.90 को जारी किया गया तो यही लिखा गया कि जो मामले चल रहे हैं उनमें डी पी एक्ट के तहत ही कार्यवाही होगी। क्योंकि मामला विचाराधीन चल रहा है इसी बीच रकबा को गलत तौर से रकबा राज कर इन्तकाल संख्या 248 दर्ज किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट ने अपील कर रखी है तथा रकबा को गलत तौर से रैस्पो0 संख्या 2 को अलाट कर उसके नाम से इन्तकाल संख्या 249 एक ही दिनांक 2.2.13 को किया गया है इन्तकाल संख्या 248 के खाना नम्बर 07 में अलाटी महेन्द्रसिंह का नाम दर्ज है तथा रकबा राज दर्ज करने से पहले न तो उसके नाम से कोई नोटिस जारी किया गया नही बुलाया या सुना गया न ही मृतक के वारिसान के नाम से नोटिस जारी किया गया व नही समाचार पत्र आदि में प्रकाशन किया गया। इन्तकाल नियमों लेण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना नहीं की गई। इन्तकाल संख्या 248 गलत है व इन्तकाल संख्या 249 एक ही रोज किया गया है जो निरस्तनीय है। इन्तकाल संख्या 249 करने से पूर्व कोई कानूनी प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया है। यदि क्लेम खारिज भी माना जावे तो भी अधिक से अधिक दुगनी राशि अथवा पैनेल्टी ही जमा करवाई जा सकती है रकबा अलाटी से वापिस नहीं लिया जा सकता। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान अधिवक्ता रैस्पो. संख्या 3 व 4 का कथन है कि नवीनी बाई से अपीलकृत भूमि 19.04.74 कय कर ली गई थी। नवीनी बाई के पास कोई टाईटल नहीं है। रैस्पो0

अतिरिक्त जिला कलक्टर (भू.प्र.)
श्रीगंगानगर

संख्या 3 व 4 के आवेदन पर जरिये बयनामा इन्तकाल दर्ज हुआ है। रैस्पो. इस भूमि पर जरिये बयनामा काबिज हैं। उनका यह भी कथन है कि महेन्द्र सिंह को किया गया आवंटन फर्जी था जो खारिज होने के पश्चात नवीनी बाई को आवंटन किया गया व नवीनी बाई से रैस्पो0 संख्या 3 व 4 द्वारा खरीद करने पर वे भूमि के सदभावी क्रेता हैं। अपीलांटस को आवन्टन निरस्त किये जाने संबंधी आदेश को चुनौति देनी चाहिये थी यह उपचार उनके पास उपलब्ध था। जब तक आवंटन बहाल नहीं होता अपीलांटस को लोकोस्टेण्डाई नहीं है। नवीनी बाई को किया गया आवंटन अंतिम हो चुका है। अपील काबिल खारिज के है।

5. दौराने बहस सुयोग्य अधिवक्ता अपीलांट द्वारा दृष्टांत आर आर टी 2012 पेज 823 की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट किया। उक्त नजीर का ससम्मान अवलोकन किया गया उक्त नजीर में अन्य बिन्दुओं के अलावा यह विनिश्चिय किया गया है कि राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी अंकित नहीं होने के अभाव में सम्पति को बेचने का अधिकार प्राप्त नहीं है। दूसरी नजीर आर आर टी 861 पेज 861 पेश की माननीय बोर्ड आफ रेवेन्यु द्वारा तय किया गया है कि इन्तकाल तस्दीक से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिये जाने पर अपील में आदेश को चुनौति देने का अधिकार है इसके लिये परिसीमा बाध्यकारी नहीं है तथा पक्षकारों के बीच नियमित वाद विचाराधीन होने पर नामान्तकरण कार्यवाही सरसरी कार्यवाही है जिसमें स्वत्व व अधिकार निर्णित नहीं किये जा सकते उक्त नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। मेरे विनम्र मत में उक्त नजीरें इस प्रकरण पर लागू नहीं होती क्योंकि उक्त इन्तकाल आवंटन खारिज होने व नवीनी बाई को आवंटित होने पर दर्ज किये गये हैं।

6. अपीलकृत रकबा मेहर सिंह को बतौर क्लेमेंट अलाट हुआ था उसका क्लेम फर्जी होने के कारण 1972 में रकबा खारिज कर नवीनीबाई को वर्ष 1974 में अलाट किया गया था। जिसकी सनद संख्या 11257 दिनांक 7.04.77 जारी हुई। जीत कौर द्वारा जिला पुनर्वास अधिकारी श्री गंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत वारिस पेश किया गया जो 29.09.72 को खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध प्राधिकृत सैटलमेंट कमिश्नर श्री गंगानगर के समक्ष अपील किये जाने पर अपील खारिज की गई। नवीनी बाई द्वारा रकबा रैस्पो0 3 व 4 को बेचान कर दिया गया। अपीलांट द्वारा मेहरसिंह के वारिस के तौर पर इन्तकाल संख्या 249 जिसके द्वारा आराजी राज का इन्तकाल नवीनी बाई के नाम से किया गया है को चुनौति दी गई है व इसके साथ ही इन्तकाल संख्या 248 दिनांक 2.2.13 जिसके द्वारा मृतक महेन्द्र सिंह को अलाट शुदा रकबा का इन्तकाल बहक राज्य सरकार दर्ज किया गया को चुनौति दी गई है।

7. जहां तक उक्त दोनो इन्तकाल को खारिज करने का प्रश्न है मूल आवंटी को आवंटित भूमि खारिज होने के बाद उक्तानुसार रकबा राज दर्ज हुआ व नवीनी बाई को आवंटित किया गया– नवीनी बाई द्वारा रकबा रैस्पो संख्या 3 व 4 को बेचान कर दिया गया। अपीलांट का तर्क है कि भूमि बहाल करवाने के लिये कार्यवाही विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है लेकिन इस संबंध में न्यायालयों में कार्यवाही विचारण के संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नहीं किये हैं अपील कर्ता को आवंटन बहाल करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिये जो वकील अपीलांट द्वारा विचाराधीन होनी बताई। अपीलांट को लोकोस्टेण्डाई नहीं है। प्रस्तुत मामले में उक्त दोनो इन्तकाल तस्दीक करने में मातहत अदालत के निर्णय में हस्तक्षेप उचित नहीं होगा। फलतः अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति दोनो प्रकरणों में रखी जावे व अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर (...)
श्रीगंगानगर